

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला मण्डी

(iii) जिला वन प्रभाग सिविल होज वन अार्क्टिक

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र जैवी-वौलधार-मल्हो विलोक्ये तल्ली-

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: सिक्स - ०.५० हेक्टर, विलोक्ये

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: कोइ, छोटा.

(i) वन का प्रकार डेन्ड्रोफोरस

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.३

(iii) प्रजातिवार स्थानीय नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम संलग्न है,

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोइ नहीं.

19. भूस्तरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलावृत्ति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूस्तरण की समावयव नहीं

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: १०० मीटर, नहीं

21. वन्य जीव की वृद्धि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता कोइ नहीं

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: महात्मा गांधी वन जीवितान्तर, नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिंजर्स, हाथी कोरीडोर, वन्यजीव अत्रवास गिलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य

जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिंजर्स, हाथी गिलियारे वन्य जीव उत्पादास पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

V) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिंजर्स, हाथी गिलियारे वन्य जीव उत्पादास पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो

क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण नारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका लिया दें :

या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता असिक्षण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है वार्डन के लिए जाति न्यूनतम है। मपरिहार्य एवं न्यूनतम वनस्पति

) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Q) किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

वन्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है

हाँ/नहीं

) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी वित्त (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं,

i) वन्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/नहीं

क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः ।

i) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संरचना क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए र हीर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। नहीं

ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए गए गैर चनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 पके मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। नहीं

v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक नरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं हाँ/नहीं

) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु. ५०

vi) वन्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के रे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं हाँ/नहीं

6. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने ले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है हाँ/नहीं

7. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनियोग सिफारिशों उप वन संरक्षक के लिए एक ग्रामीण जीविति की १२२ जनसंघ दायाविहार जगी, अवृत्ति नियामन का विवरण उपस्थिति की जारी है,

आन: ग्रामीण

ग्रामीण: १५-२५

हस्ताक्षर नियामन वनस्पतिकारी
नियामन शासकीय संबंध
उपरिव्यय एवं सायम वनस्पति
विवरण,